न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 140/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/221

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र देवराम
2. लक्ष्मन पुत्र देवीराम
3. सौमोती बेवा देवीराम

} जाति माली निवासी ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. हीरा सिंह पुत्र स्व. हरिकिशन
2. दिलीप सिंह पुत्र स्व. हरिकिशन
3. चन्दा पुत्री स्व. हरिकिशन
4. कृष्णा पुत्री स्व. हरिकिशन
5. श्रीमती पांची बेवा स्व. हरिकिशन

} जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

6. मानसिंह पुत्र सुक्खन जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
7. रमेश पुत्र सुक्खन जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
8. रामदेई पत्नी मानसिंह जाति माली निवासी–हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
9. कान्ता पत्नी रमेश जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
10. पुष्पा बेवा मोती जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
11. मनीष पुत्र मोती जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर(राज.)
12. हेमा पुत्री मोती जाति माली निवासी–हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.
13. डिम्पल पुत्र मोती जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
14. संतोष उर्फ पिंकी पुत्री मोती जाति माली निवासी–हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
15. खैम सिंह पुत्र स्व० पन्नालाल
16. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व० पन्नालाल
17. मंजू पुत्री स्व० पन्नालाल
18. मिथलेश पुत्री स्व० पन्नालाल
19. श्रीमती सरूपा पत्नी पन्नालाल

} जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

20. कन्हैयालाल पुत्र चुन्नी जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
21. प्रेम बेबा तुरसी जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
22. योगेश पुत्र तुरसी जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
23. कविता बेवा तारा जाति माली निवासी हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
24. सनी पुत्र तारा जाति माली निवासी–हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
25. सचिन पुत्र तारा जाति माली निवासी–हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
26. भूपसिंह पुत्र लालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
27. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी–हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
28. दलवीर पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी–हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

29. कुमरपाल पुत्र खूवीराम जाति जाट निवासी ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.).
30. गंगा पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
31. जमुना पत्नी फतेह सिंह जाति जाट निवासी ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
32. रामश्री पत्नी बदन सिंह जाति कुम्हार निवासी–ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
33. बदन सिह पुत्र मौहर सिंह जाति कुम्हार निवासी ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
34. बीआरकेजीबी शाखा हसनपुर
35. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नदबई जरिये प्रबन्धक
36. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
37. सब रजिस्ट्रार नदबई।

.....प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 17/2018 बउनवानी हरिकिशन वगै. बनाम पुष्पा वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2025 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 एवं 6 से 9 श्री पुरुषोत्तम मुदगल उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 26.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा मु.स. 17/2018 बउनवानी हरिकिशन वगै. बनाम पुष्पा वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2025, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया था कि वादपत्र के खण्ड सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी वाके ग्राम हसनपुर गादौली वादीगण व प्रतिवादीगण की शामिल खाते की भूमि है। किन्तु अब विवादित आराजी शामिल काश्त करना संभव नही रहा है क्योंकि प्रतिवादी विवादित भूमि पर बिना बंटवारा कराये परपुख्ता तामीर करने पर उतारु हैं। इसलिए वादीगण ने दावा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वर्णित अर्जीदावा मद सं. 2 का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि ली जाकर मुताबिक हिस्सा अनुसार कुर्रे बनाये जाकर भूमि का बंटवारा कराया जावे एवं मुताबिक कुर्रा वादीगण का अलग से खाता तैयार कर खातेदारी का अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दावामी से पाबंद किया जावे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नदबई को कुर्रा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी किये गये। जिसके उपरान्त तहसीलदार द्वारा प्राप्त कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 05.06.2025 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.07.2025 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 एवं 6 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मुदगल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 1340 रकबा 0.20 हैक्ट०, 744 रकबा 0.28 हैक्ट०, 781 रकबा 0.24, 737 रकबा 0.08, 746 रकबा 0.11, 747 रकबा 0.12, 393 रकबा 0.81, 467 रकबा 0.18, 568 रकबा 0.19, 569 रकबा 0.13, 570 रकबा 0.08, 571 रकबा 0.08, 728 रकबा 0.08, 738 रकबा 0.08, 739 रकबा 0.08, 748 रकबा 0.01, 754 रकबा 0.01, 1339 रकबा 0.9, 1321 रकबा 0.16, 1322 रकबा 0.17, 1324 रकबा 0.16, 392 रकबा 1.11, 391 रकबा 1.04, 740 रकबा 0.45, 749 रकबा 0.22, 753 रकबा 0.12, 755 रकबा 0.12, 782 रकबा 0.18 वाके ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुऐ कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार से मंगाई गई तहसीलदार द्वारा दिनांक 05.06.2025 को कुर्रा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। तहसीलदार द्वारा कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते समय विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना नहीं की गई है। अपीलांटान को कुर्रा संख्या 7, 8, 11, 12, 13 में दिया गया है जबकि कुर्रा संख्या 7, 8, 12, और 13 में अन्य खातेदारों को जोड़ा जाकर उनके हिस्से में कुर्रा बनाया गया है जबकि अलग–अलग कुर्रा बनाया जाना चाहिये था। जबकि कुर्रा सं. 7 में 19 व्यक्ति, कुर्रा सं. 8 में 16 व्यक्ति एवं कुर्रा सं. 9 में 17 व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये हैं। इससे विभाजन के नियमों की कतई पालना नहीं की गई है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री काबिल निरस्ती के है। मुताविक विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को आवंटित किये जाने वाला भाग Compact होना चाहिये था Compact न होकर अलग–अलग खसरा नम्बरों में अलग–अलग सहखतेदारों के साथ कुर्रा बनाया गया है कुर्रा बनाते समय खसरा नम्बरों का विभाजन किया गया है तो अलग–अलग रंगों में दिखाते हुऐ नक्शा बनाया जायेगा और मौके पर विभाजन भी कराया जावेगा लेकिन यहां न तो अलग–अलग रंगों में, अलग–अलग प्लॉटों रंगा हुआ दिखाते हुऐ नक्शा नहीं बनाया गया है और मौके पर सीमांकन नहीं कराया गया है। अपीलांटान एक ही परिवार के भाई और माता है और तीनों अपीलांटान को एक साथ ही कुर्रा बनाना चाहिये था और एक ही Compact ऐरिया देना चाहिये था लेकिन सबको एक कुर्रा न बनाया जाकर अलग–अलग खसरा नम्बरों में कुर्रा कायम किया गया है खसरा नम्बर 392 रकबा 1.11 में अपीलांटान के नाम खातेदारी नहीं है लेकिन खसरा नम्बर 392/3 रकबा 0.59 ऐयर में हिस्सा 1227/4720 अपीलांट संख्या 1 व 2 को दिया गया है। कुर्रा संख्या 8 बनाया गया जो पूर्णतया गलत है। अपीलांटान खसरा नम्बर 392 में सहखातेदार ही नहीं है तो उसमें कुर्रा नहीं दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार जो तहसीलदार द्वारा कुर्रा बनाये गये है वह पूर्ण विभाजन नियम 18 से 21 की पालना न करते हुऐ बनाये गये है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों पर गौर न करते हुऐ निर्णय पारित किया गया है जो कतई गलत है। विभाजन के नियमों के अनुसार अंच्छे में से अच्छे व बुरे में से बुरे का विभाजन सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन करना चाहिये था जिसमें बारानी और चाही को भी देखा जाना चाहिये था कुर्रा नं. 2 और कुर्रा नं. 3, कुर्रा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नं. 5 अलग–अलग किये है मौके पर अपीलांटान द्वारा आपत्ति की गई थी तहसीलदार टाइपशुदा कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये गये और तहसील में जाकर कुर्रा रिपोर्ट टाइप कराकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये है जो कतई विधि सम्मत नहीं कहे जा सकते। हरिकिशन एवं पन्नालाल की मृत्यु दावे के निर्णय होने से पहले ही हो चुकी हैं। मरे हुऐ व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है अपील में उनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जबकि खसरा नम्बर 746, 747 आम रास्ते पर हैं जिसमें मकानात हेमसिंह, लोकेन्द्र सिंह एवं कन्हैया के बने हुए हैं जो रास्ते के सामने हैं तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार कर लाई गई थी और उस पर मौके पर हस्ताक्षर कराये गये थे और कहा था कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुर्रा तैयार किये गये हैं। विश्वास में आकर हस्ताक्षर किये गये थे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2025 निरस्त फरमायी जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम हसनपुर गादौली तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी का रकबा है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी मनबट से काबिज होकर काश्त कर रहे थे। अभी तक विवादित आराजी का कानूनी रुप से विभाजन नही हुआ है। लेकिन अब वादी एवं प्रतिवादीगण का बिना बंटवारे के काश्त करना सम्भव नहीं रहा क्योंकि सभी पक्षकारान अच्छी–अच्छी आराजी पर काबिज होना चाहते हैं तथा इसके उपरान्त डोर–मेड–लगान आदि को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रतिवादीगण बिना बंटवारा किए भूमि का विक्रय करते रहते हैं एवं बिना बंटवारा के विवादित भूमि पर परपुख्ता तामीर करने को उतारु हैं। जिससे आराजी मुत0 का कानूनी रुप से बंटवारा कराया जाना आवश्यक हो गया था। इस पर जब वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी मुत0 का बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादी ने बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया। जिसके कारण वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने न्यायालय तहत में दावा पेश किया गया जिसके उपरान्त न्यायालय तहत द्वारा उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार द्वारा कुर्रा प्रस्ताव रिपोर्ट मंगवाई गई। कुर्रे तैयार करने से पूर्व सभी सह–खातेदारान को तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किए गए थे एवं नोटिस के अनुसार सभी उपस्थित रहे हैं। तहसीलदार द्वारा कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते समय विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई है। कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए एवं नोटिस अनुसार सभी पक्षकार उपस्थित हुए एवं सभी कुर्रो पर अपीलान्ट्स द्वारा सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। सभी पक्षकारों को बराबर–बराबर भूमि मिली है। खसरा नम्बर 392 अपीलान्ट की स्वीकृती से दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 05.06.2025 के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 23.07.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 26.08.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालाय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के पिता पति हरिकिशन, रेस्पोडेन्ट सं. 6 मानसिंह, रेस्पोडेन्ट सं. 7 रमेश, रेस्पोडेन्ट सं. 8 रामदेई एवं रेस्पोडेन्ट सं. 9 कान्ता पत्नी रमेश ने दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2024 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नदबई से कुर्रेजात मंगवाये जाकर दिनांक 23.07.2025 को अन्तिम डिक्री पारित की गयी। हस्तगत अपील अन्तिम डिक्री के विरुद्ध पेश की गयी है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के अपील मीमों में मुख्य रुप से यह आधार लिए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 05.06.2025 को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कुर्रा रिपोर्ट विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार नहीं की गयी एवं नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना नहीं की गयी है। अपीलान्टान को कुर्रा सं. 7,8,11,12,13 में दिया गया है जबकि कुर्रा सं. 7,8,12 व 13 में अन्य खातेदारों को जोड़ा जाकर उनके हिस्से में कुर्रा बनाया गया है जबकि अलग–अलग कुर्रा बनाया जाना चाहिए था। विभाजन के नियमों के मुताबिक प्रत्येक सह–खातेदार को आवंटित किये जाने वाला भाग कॉम्पैक्ट होना चाहिए था लेकिन कुर्रा में कॉम्पैक्ट न होकर अलग–अलग खसरा नम्बरों में अलग–अलग सह–खातेदारों के साथ कुर्रा बनाया गया है। कुर्रा बनाते समय खसरा नम्बरों का विभाजन किया गया है तो अलग–अलग रंगों में दिखाते हुए नक्शा बनाया जाएगा एवं मौके पर विभाजन भी कराया जाएगा लेकिन यहां न तो अलग–अलग रंगों में, अलग–अलग प्लांटों को दिखाते हुए नक्शा नहीं बनाया गया है। अपीलान्टान एक ही परिवार के भाई और माता हैं और तीनों अपीलान्टान को एक साथ ही कुर्रा बनाना चाहिए था और एक ही कॉम्पैक्ट एरिया देना चाहिए था लेकिन सबका एक कुर्रा न बनाया जाकर अलग–अलग खसरा नम्बरों में कुर्रा कायम किया गया है। खसरा नम्बर 392 रकबा 1.11 में अपीलान्टान के नाम खातेदारी नहीं है लेकिन खसरा नम्बर 392/3 रकबा 0.59 एयर में हिस्सा 1227/4720 अपीलान्ट सं. 1 व 2 को दिया गया है। कुर्रा सं. 8 बनाया गया है जो पूर्णतया गलत है। विभाजन नियमों के अनुसार अच्छे में से अच्छे व बुरे में से बुरे का विभाजन सभी सह–खातेदारों के मध्य विभाजन करना चाहिए था जिसमें बरानी और चाही को भी देखा जाना चाहिए था। कुर्रा नं. 2, 3 व 5 अलग–अलग किए हैं। मौके पर अपीलान्टान द्वारा आपत्ति की गयी थी। तहसीलदार द्वारा टाइपशुदा कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए और तहसील में जाकर कुर्रा रिपोर्ट टाइप कराकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिए जो विधिसम्मत नहीं कहे जा सकते है। हरिकिशन एवं पन्नालाल की मृत्यु दावे के निर्णय होने से पहले ही हो चुकी है। मरे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है अपील में उनके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। खसरा नम्बर 746, 747 आम रास्ते पर हैं जिसमें मकानात हेमसिंह व लोकेन्द्र सिंह एवं कन्हैया के बने हुए हैं जो रास्ते के सामने हैं। तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट कर लाई गयी थी और उस पर मौके पर हस्ताक्षर कराये गए थें और कहा था कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुर्रे तैयार किए गए है, विश्वास में आकर हस्ताक्षर किए गए थे।

रेस्पोडेन्ट सं. 1,2, एवं 6 से 9 के अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन रहा है कि कुर्रे तैयार करने से पूर्व सभी सह–खातेदारान को तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किए गए थे एवं नोटिस के अनुसार सभी उपस्थित रहे हैं। तहसीलदार द्वारा कुर्रे तैयार करते समय विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नियम 18–21 की पूर्ण रुप से पालना की है। कुर्रा रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। सभी सह–खातेदारान को बराबर–बराबर भूमि विभाजन में मिली है। खसरा नम्बर 392 में जो हिस्सा अपीलान्ट को दिया गया है वह अपीलान्ट्स की सहमति से ही दिया गया है क्योंकि खसरा नम्बर 392 में जो हिस्सा अपीलान्ट को दिया गया है उस पर उनका कब्जा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 2312–2323 दिनांक 02.06.2025 को जारी किए हैं जिसमें विवादित भूमि पर दिनांक 05.06.2025 को 10 बजे उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया है। इन सभी नोटिसों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इन पर किसी भी नोटिस पर तामीली के हस्ताक्षर नहीं है। विभाजन प्रस्ताव मौका रिपोर्ट पर अधिकांश सह–खातेदारान के हस्ताक्षर है। तहसीलदार नदबई द्वारा 15 कुर्रे तैयार किए गए हैं। इन कुर्रा प्रस्तावों का अवलोकन करने पर जाहिर आता है कि वादीगण को कुर्रा नं. 1, 3, 4 में भूमि दी गयी है। जिसमें से कुर्रा नं. 1 में 1.89 हैक्टर भूमि, कुर्रा नं. 3 में 0.18 हैक्टर भूमि प्रदान की गयी है एवं कुर्रा नं. 4 में 0.08 हैक्टर भूमि प्रदान की गयी है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि कुर्रा नं. 1 में केवल वादीगण तीनों भाईयों को एक साथ रखा गया है, कुर्रा नं. 3 में वादीनी कान्ता पत्नी रमेश एवं रामदेई पत्नी मानसिंह को रखा गया है तथा कुर्रा नं. 4 में कान्ता पत्नी रमेश एवं रमेश पुत्र सुक्खन को रखा गया है। इस प्रकार वादीगण को जो भूमि विभाजन प्रस्तावों में दी गयी है वह पूर्ण रुप से उनके ही परिवार के लोगों के हिस्से में रखी गयी है। अन्य कुर्रो का अवलोकन करने पर पाया गया है कि कुर्रा नं. 2 में अकेले भूपसिंह पुत्र लालसिंह को भूमि की गयी है। कुर्रा नं. 6 में अकेली रामश्री पत्नी बदनसिंह को भूमि दी गयी है। कुर्रा नं. 5 में भी केवल 3 व्यक्तियों को भूमि प्रदत्त की गयी है। इसके अलावा कुर्रा नं. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 व 15 में सभी सह–खातेदारों को शामिल रख दिया गया है। कुर्रा नं. 11 में अपीलान्ट रामप्रसाद व लक्ष्मन पुत्र देवीराम को भूमि दी गयी है। कुर्रा नं. 8 में रामप्रसाद पुत्र देवीराम एवं लक्ष्मन पुत्र देवीराम को भी बंटवारे में भूमि दी गयी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी ग्राम हसनपुरा सम्वत 2072–75 के खाता सं. 41 के अनुसार उक्त दोनों व्यक्ति इस खाते में खातेदार ही नहीं है। बंटवारा सह–खातेदारान के मध्य ही हो सकता है। अलग खाते से अन्य खाते के सह–खातेदार की भूमि दोनों खातों को मिलाकर बंटवारा कर नहीं दी जा सकती है जिस खाते में वह व्यक्ति खातेदार ही नहीं हो। इस प्रकार कुर्रा नं. 8 तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण रुप से तैयार किया गया है एवं उसके आधार पर अन्तिम डिक्री में रामप्रसाद व लक्ष्मन पुत्र देवीराम को इस खाता सं. 41 के खसरा नम्बर 392 में से भूमि देना कतई विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट्स का यह तर्क इस सम्बन्ध में मानने योग्य नहीं है कि अपीलान्ट्स की सहमति से ही उनको इस खसरा नम्बर 392 में से भूमि दी गयी है क्योंकि इनका उस पर कब्जा है। जब वे खसरा नम्बर 392 के खातेदार ही नहीं है तो उनको बिना किसी हस्तान्तरण योग्य दस्तावेज या विरासत के अलावा खातेदार नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मौटेतौर पर केवल वादीगण का बंटवारा से भूमि अलग कर दी गयी है एवं कुर्रा नं. 2,5 व 6 में ही एक जगह अन्य सह–खातेदारों की भूमि दी गयी है शेष कुर्रों में भूमि शामलाती ही रखी गयी है जिससे अन्य सह–खातेदारों को पुनः बंटवारे का दावा पेश करना होगा जबकि एक ही दावे से सम्पूर्ण सह–खातेदारों का बंटवारा कर देना चाहिए। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उपर्युक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे के दावे में अन्तिम डिक्री तहसीलदार द्वारा पेश गलत कुर्रे प्रस्ताव के आधार पर पारित की है जो हस्तक्षेप योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट उपर्युक्त विवेचन के क्रम में आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2025 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उपरोक्त विवेचनानुसार कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते हुए, उभयपक्ष की सुनवाई कर, साक्ष्य, सबूत लेकर विधिवत रुप से पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष दिनांक 25.06.2026 को उपस्थित होवें।

10. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर